...न सं0 563

... का संख्या और ...रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
21/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **सेटलमेंट अपील 168 / 1999** **चन्दर अहीर बनाम् बाल मुकुन्द नाथ शाहदेव** प्रश्नगत् अपील प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त द्वारा वाद संख्या–03 / 96 (बेड़ों) में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था, जिसमें खाता नम्बर–128, प्लॉट नम्बर–478 एवं 897, ग्राम–ईंटा के सर्वे इन्द्राज का विषय सन्निहित है। प्रश्नगत् वाद में अपीलार्थी द्वारा अंतिम हाजरी दिनांक–29.10.2013 को दायर की गयी। अपीलार्थी को लगातार विपक्षियों का पूर्ण पता उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाता रहा, किन्तु वे इसमें असफल रहे। उक्त तिथि के पश्चात् से ही आवेदक के तरफ से न्यायालय में मात्र एक बार हाजिरी दी गयी किन्तु विपक्षी का पता उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार यह विषय विगत् 22 वर्षों से विपक्षी का पता उपलब्ध नहीं होने के कारण लम्बित है। आवेदक स्वयं भी न्यायालय से लगातार अनुपस्थित है। आवेदक के मृत्यु के पश्चात् दिनांक–14.10.2014 को उनके पुत्र को प्रतिस्थापित किया गया, किन्तु उनके द्वारा भी इस वाद के संचालन में कोई अभिरूचि नहीं ली गयी। ऐसे परिस्थिति में इस वाद में सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। निम्न न्यायालय में आवेदक तथा विपक्षी दोनों पक्षकार थे तथा दोनों के पक्ष को सुनते हुये आदेश पारित किया गया है। विपक्षियों की तरफ से एक लिखित बहस वर्ष 2003 में प्रस्तुत की गयी थी। निम्न न्यायालय के अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि मूलत जीतवाहन अहीर के नाम से दर्ज थी, जिसे उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। खेवट नम्बर–06 की निलामी में प्रश्नगत् भूमि का क्रय फलीन्द्रलाल चन्द्र एवं तत्पश्चात् निर्मल चन्द्र सरकार द्वारा किया गया था। उक्त निर्मल चन्द्र सरकार से विपक्षी द्वारा भूमि को क्रय किया गया तथा तभी से वे प्रश्नगत् भूमि के दखलकार है। निम्न न्यायालय द्वारा सभी बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचना करते हुये अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। प्रमण्डलीय आयुक्त लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.02 17:06:50 +05:30
Location: 192.168.1.40